

प्रेस नोट
थाना सीपरी बाजार, झाँसी

दिनांक- 28.02.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- दुष्कर्म के अभियोग में थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार..

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 28.02.2026 थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 212/2025 धारा 137 (2) बी.एन.एस से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू पाल पुत्र श्री रघुवीर पाल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बीजोर थाना सेंदरी जिला निवाड़ी (म0प्र0) को समय करीब 14:10 बजे पारीछा पीपा पुल के पास थाना बड़ागाँव झाँसी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.06.2025 को वादिया द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादिया की लगभग 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम कल्लू रायकवार पुत्र देशराज निवासी ब्रह्मनगर कॉलोनी, लहर माता मंदिर के पास, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दौराने विवेचना नामित अभियुक्त कल्लू रायकवार उपरोक्त को दिनांक 17.06.2025 को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जिला कारागार झाँसी भेजा गया था।

आज दिनांक 28.02.2026 को उक्त अभियोग की अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अपहृता से शादी करने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गोलू पाल पुत्र श्री रघुवीर पाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम बीजोर, थाना सेंदरी, जिला निवाड़ी (म०प्र०) को पारीछा पीपा पुल के पास, थाना बड़ागाँव, जनपद झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

उक्त प्रकरण में धारा 64(1) बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

गोलू पाल पुत्र श्री रघुवीर पा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बीजोर थाना सेंदरी जिला निवाड़ी म0प्र0 ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार मय पुलिस टीम ।